

— इस स्पजम प्रा. पत्र के लागू
हुए बाद विभाजन व स्पाई निषेधना
का जेकरा है। वाउके लम्बित हते
क्वाड्रि भूमि मे छिपी बच्चा का, कुत्ता
हस्तारण, निर्माण, इत्यादि होता है।
तो पत्राचार मे वाउ की बाहुलता
उत्पन्न होगी इस कार के इन्कार
नही किया जा सकता है। इस न्याया.

— डाय डिमेंट 11.09.2025 को ~~सर्वे~~
अन्तरीम स्पजम कोष्य पारित किया
है। इसलिये उक्त विवादि भूमि मे डिमेंट
11.09.2025 को पारित अन्तरीम स्पजम
कोष्य को तर्किताने वाउ पुष्ट किया
जाता है। यह कोष्य इस प्रा० पत्र
सं. 98/2025 मे डिमेंट 11.09.2025
को पारित कोष्य के लागू व उक्त
सदर मे पदा जोरना। कोष्य कुले न्याया
लिया जाऊँगा डिमेंट 3.11.2025 को

— पुनर्प्राप्त
पत्राचार केवल भुमा के कार्ड से कम
के कार्ड तर्किताने वाउ दाखिल करवाये।